

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:—नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की अनुशासनिक कारणों से सेवा समाप्त करने के फलस्वरूप राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवाएँ प्राप्त नहीं किए जाने संबंधी शास्ति निर्धारण के संबंध में।

4684
21/07/19

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत शहरी विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त एक बड़ी संख्या में संविदा के आधार पर कर्मियों की सेवायें प्राप्त की गई हैं।

2. प्रायः यह देखा जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बहुआयामी कार्यों का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्, विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों व्यक्तिगत कारणों से संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व इस अनुभव का लाभ प्राप्त करते हुए, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/संगठन में नियोजित हो जाते हैं।

यह भी देखा जाता है कि संविदा कर्मियों के सौंपे गए कार्यों में अपेक्षित रूचि नहीं लिए जाने के फलस्वरूप निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से उनकी संविदा आधारित सेवायें विभाग द्वारा समाप्त करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्य संपादन के दौरान उक्त संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित करने में ना केवल सरकारी राशि का व्यय होता है बल्कि इससे सरकारी तंत्र के समय, साधन एवं श्रम का भी व्यय होता है।

4. उपर्युक्त स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की संविदा अवधि के पूर्व स्वेच्छा से पदत्याग करने अथवा प्रशासनिक कारणों से संविदा आधारित सेवायें समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में शास्ति के निर्धारण की आवश्यकता है, ताकि संविदा कर्मियों सुगमता से विभाग की संविदा आधारित सेवाओं का परित्याग करते हुए राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन में पुनः सेवा का अवसर प्राप्त न कर सकें तथा नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ पदीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

5. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :-

5.1 संविदा कर्मियों के विरुद्ध उनके निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन, अशोभनीय आचरण अथवा दायित्वों के निर्वहन में चुक से संबंधित किसी स्रोत से प्राप्त सूचना के आलोक में सर्वप्रथम सम्पूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

5.2 विभागीय समीक्षा के क्रम में यदि संविदा कर्मियों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया कर्तव्य में लापरवाही, अशोभनीय आचरण, अनियमितता अथवा नैतिक नीचता का संकेत मिलता है तो इस स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद-311 के प्रावधानों के तहत संबंधित संविदा कर्मियों को बचाव बयान समर्पित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

5.3 बचाव बयान की विभागीय स्तर पर समीक्षा के पश्चात् यदि आरोप प्रमाणित होते हैं कि संविदा कर्मियों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग में सेवाएँ प्रदान करने हेतु उनके बने रहने के अयोग्य प्रदर्शित करता है, तो इस स्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करते हुए, ऐसे कर्मियों की संविदा आधारित सेवायें समाप्त कर दी जाएगी :-

5.3.1 ऐसे संविदा कर्मियों, जिन्हें कंडिका-5.2 में वर्णित कारणों से सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उपक्रम में नियमित अथवा संविदा आधारित सेवाओं में नियोजन हेतु सेवा की विमुक्ति की तिथि से अगले 05 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य होंगे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.4 यदि कोई संविदा कर्मी अपनी संविदा अवधि के पूर्व स्वेच्छा से पदत्याग करता है एवं इस कारण विभागीय कार्यों के संपादन में बाधा पहुँचती हो, तो इसे गैर जिम्मेदाराना आचरण की श्रेणी में रखते हुए, उनके विरुद्ध निम्नांकित शारित अधिरोपित की जाएगी :-

- 5.4.1 संविदा पर नियुक्त वैसे कर्मी, जो 01 (एक) वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा के उपरांत त्यागपत्र देंगे, वैसी स्थिति में मुआवजे के रूप में उनसे 02 (दो) माह के मानदेय के समतुल्य राशि वसूली जायेगी।
- 5.4.2 01 वर्ष से कम अवधि तक विभाग (निकाय सहित) में सेवा देने के पूर्व यदि कोई कर्मी त्यागपत्र देता है, तो वैसी स्थिति में 03 (तीन) माह के मानदेय के समतुल्य राशि उस कर्मी से वसूल की जायेगी।
- 5.4.3 ऐसे संविदा कर्मी संविदा हेतु नियत अवधि की अवशेष अवधि हेतु राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उपक्रम में नियमित अथवा संविदा आधारित सेवाओं में नियोजन हेतु अयोग्य होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/विविध (संविदा)-40/2017/न0वि0आ0.....4684 राँची,दि0-21/07/17
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/विविध (संविदा)-40/2017/न0वि0आ0.....4684 राँची,दि0-21/07/17
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी उपक्रम/सभी शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।